

## आदेश

पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर में आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सहायक उपनिरीक्षक लिपिक को उनके प्रशिक्षण केन्द्र से उनके नाम के सम्मुख (कालम-08) में अंकित जनपद/कमिश्नरेट/इकाई आवंटित किया जाता है।

यह आदेश "पुलिस स्थापना बोर्ड" के कार्यवृत्त सूची सं०:-संख्या-एएसपी-(ई-1)-(सहायक उपनिरीक्षक लिपिक/लेखा) आवंटन-100/2025 दिनांक: 28-03-2025 में लिये गये निर्णय के अनुसार जारी किया जा रहा है।

केवल आधारभूत प्रशिक्षण में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को ही आवंटित जनपद/कमिश्नरेट/इकाई हेतु कार्यमुक्त किया जायेगा। यदि कोई सहायक उपनिरीक्षक लिपिक आधारभूत प्रशिक्षण में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसे जनपद/कमिश्नरेट/ इकाई हेतु तभी कार्यमुक्त किया जायेगा जब वह पूरक प्रशिक्षण में सफल होगा।

सहायक उपनिरीक्षक लिपिक को उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा, गोपनीय सहायक संवर्ग नियमावली-2015 एवं यथासंशोधित में दिये गये प्राविधानों के अनुसार परीक्षा पर रखा जायेगा, जिनके द्वारा नियमानुसार परीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर ही स्थाईकरण किया जायेगा। 03 वर्ष की अवधि में सम्बन्धित कर्मियों को आवंटित जनपद/इकाई/कमिश्नरेट से अन्यत्र सामान्यतः स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा।

निम्नलिखित कर्मियों आवंटित जनपद/कमिश्नरेट/इकाई में अपनी आमद कराये जाने के पश्चात् सम्बन्धित जनपद/कमिश्नरेट/इकाई से व्यवहारिक प्रशिक्षण में प्रतिभाग करेंगे।

क्र० सं०	पद	पीएनओ	कर्मियों का नाम	पिता का नाम	गृह जनपद	प्रशिक्षण केन्द्र	आवंटित जनपद/कमिश्नरेट/इकाई
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सहायक उपनिरीक्षक लिपिक	241060102	पूजा	अमर बहादुर	भदोही	पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर	गाजीपुर

DGP HQRS UP LKW



DG-IV-STHA-(100)/2025/380 DT 28-03-2025

28/3/25  
(राहुल मिश्रा)

अपर पुलिस अधीक्षक (स्थापना)  
नि० पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक  
उ०प्र० लखनऊ।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या: डीजी-चार-स्था०-(100)/2025/380

दिनांक: लखनऊ: मार्च 28, 2025

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर पुलिस महानिदेशक- पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि केवल आधारभूत प्रशिक्षण में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को ही आवंटित जनपद/कमिश्नरेट/इकाई हेतु कार्यमुक्त किया जायेगा। यदि कोई सहायक उपनिरीक्षक लिपिक आधारभूत प्रशिक्षण में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसे आवंटित जनपद/कमिश्नरेट/इकाई हेतु तभी कार्यमुक्त किया जायेगा, जब वह पूरक प्रशिक्षण में सफल होगा। असफल होने वाले अभ्यर्थियों की सूची इस मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी। सम्बन्धित अभ्यर्थियों को तदनुसार प्रस्थान करते हुए इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें, तथा उक्त कर्मियों के सेवा अभिलेख सम्बन्धित जनपद/कमिश्नरेट/इकाई को प्रेषित करने का कष्ट करें।

2- पुलिस अधीक्षक- गाजीपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि सूची में अंकित सफल होने वाले अभ्यर्थियों के अपने-अपने आवंटित जनपद/कमिश्नरेट/इकाई में आगमन कराने तथा उसके पश्चात् उनका निर्धारित व्यवहारिक प्रशिक्षण कराना सुनिश्चित करें।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन वाराणसी।
3. पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, उ०प्र०, लखनऊ।

## आदेश

पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर में आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सहायक उपनिरीक्षक लेखा को उनके प्रशिक्षण केन्द्र से उनके नाम के सम्मुख (कालम-08) में अंकित जनपद/कमिश्नरेट/इकाई आवंटित किया जाता है।

यह आदेश "पुलिस स्थापना बोर्ड" के कार्यवृत्त सूची सं०-संख्या-एएसपी-(ई-1)-(सहायक उपनिरीक्षक लिपिक/लेखा) आवंटन-100/2025 दिनांक: 28-03-2025 में लिये गये निर्णय के अनुसार जारी किया जा रहा है।

केवल आधारभूत प्रशिक्षण में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को ही आवंटित जनपद/कमिश्नरेट/इकाई हेतु कार्यमुक्त किया जायेगा। यदि कोई सहायक उपनिरीक्षक लेखा आधारभूत प्रशिक्षण में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसे जनपद/कमिश्नरेट/ इकाई हेतु तभी कार्यमुक्त किया जायेगा जब वह पूरक प्रशिक्षण में सफल होगा।

सहायक उपनिरीक्षक लेखा को उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा, गोपनीय सहायक संवर्ग नियमावली-2015 एवं यथासंशोधित में दिये गये प्राविधानों के अनुसार परीक्षा पर रखा जायेगा, जिनके द्वारा नियमानुसार परीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर ही स्थाईकरण किया जायेगा। 03 वर्ष की अवधि में सम्बन्धित कर्मी को आवंटित जनपद/इकाई/कमिश्नरेट से अन्यत्र सामान्यतः स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा।

निम्नलिखित कर्मी आवंटित जनपद/कमिश्नरेट/इकाई में अपनी आमद कराये जाने के पश्चात् सम्बन्धित जनपद/कमिश्नरेट/इकाई से व्यवहारिक प्रशिक्षण में प्रतिभाग करेंगे।

क्र० सं०	पद	पीएनओ	कर्मी का नाम	पिता का नाम	गृह जनपद	प्रशिक्षण केन्द्र	आवंटित जनपद/कमिश्नरेट/इकाई
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सहायक उपनिरीक्षक लेखा	241060098	अल्का मिश्रा	बृजेन्द्र कुमार त्रिपाठी	भोपाल (म०प्र०)	पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर	मथुरा

DGP HQRS UP LKW



DG-IV-STHA-(100)/2025/381 DT 28-03-2025

98/3/25  
(राहुल मिश्रा)

अपर पुलिस अधीक्षक (स्थापना)  
नि० पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक  
उ०प्र० लखनऊ।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या: डीजी-चार-स्था०-(100)/2025/381

दिनांक: लखनऊ: मार्च 28, 2025

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर पुलिस महानिदेशक- पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि केवल आधारभूत प्रशिक्षण में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को ही आवंटित जनपद/कमिश्नरेट/इकाई हेतु कार्यमुक्त किया जायेगा। यदि कोई सहायक उपनिरीक्षक लेखा आधारभूत प्रशिक्षण में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसे आवंटित जनपद/कमिश्नरेट/इकाई हेतु तभी कार्यमुक्त किया जायेगा, जब वह पूरक प्रशिक्षण में सफल होगा। असफल होने वाले अभ्यर्थियों की सूची इस मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी। सम्बन्धित अभ्यर्थियों को तदनुसार प्रस्थान करते हुए इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें, तथा उक्त कर्मियों के सेवा अभिलेख सम्बन्धित जनपद/कमिश्नरेट/इकाई को प्रेषित करने का कष्ट करें।

2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक- मथुरा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि सूची में अंकित सफल होने वाले अभ्यर्थियों के अपने-अपने आवंटित जनपद/कमिश्नरेट/इकाई में आगमन कराने तथा उसके पश्चात् उनका निर्धारित व्यवहारिक प्रशिक्षण कराना सुनिश्चित करें।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, आगरा जोन आगरा।
3. पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, उ०प्र०, लखनऊ।